द आइडेंटिटी पजल : डीएनए बिल

साभार : द हिंदू
27 अक्टूबर, 2017

कृष्णदास राजगोपाल
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय कानून आयोग ने जुलाई में सरकार को डीएनए आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017 का मसौदा प्रस्तुत किया था। यह देखते हुए कि लापता लोगों, आपदाओं के शिकार, आदि के संबंध में कोई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था नहीं है, डीएनए विधेयक मानव डीएनए प्रोफाइलिंग को विनियमित करने और डीएनए परीक्षण के लिए मानक प्रक्रियाएं स्थापित करना चाहता है। ड्राफ्ट विधेयक ने पहले विधेयक को काफी हद तक संशोधित किया है और जांच उद्देश्यों के लिए अन्तरास डीएनए नमूनों के इस्तेमाल को मजबूत करने और लापता लोगों की पहचान के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है।

सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं डीएएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड और डीएनए डाटा बैंक नामक एक सांविधिक निकाय के गठन शामिल हैं। डीबीए प्रयोगशालाओं को स्थापित करने और इस तरह के प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने और डीएनए प्रयोगशालाओं से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों / विभागों को सलाह देने के लिए प्रोफाइलिंग बोर्ड कार्यवाही करेगा। यह प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षण, निगरानी, निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार होगा। बोर्ड डीएनए से संबंधित मामलों से संबंधित पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को प्रशिक्षण देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा। इसके कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप डीएनए परीक्षण से संबंधित सभी नैतिक और मानव अधिकारों के मुद्दों पर सलाह शामिल करना शामिल है। यह डीएनए परीक्षण और संबंधित मुद्दों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों की सिफारिश करेगा। डीएनए प्रोफाइलिंग विशेष रूप से एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाएगा और किसी भी अन्य जानकारी को निकालने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

बिल ने राष्ट्रीय और राज्यों में एक क्षेत्रीय आधार पर एक डीएनए डाटा बैंक की स्थापना की भी सिफारिश की है। डेटा बैंक प्राथमिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल को संग्रहित करेगा और अपराधों के सूचकांक, संदिग्ध सूचकांक, अपराधियों के सूचकांक, लापता व्यक्तियों के सूचकांक और अज्ञात मृत व्यक्तियों के इंडेक्स जैसे परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न श्रेणियों के डेटा के लिए कुछ सूचकांक बनाए रखेगा। लापता लोगों की उनके शारीरिक नमूने और पदार्थों के आधार पर डीएनए प्रोफाइल के अभिलेख और उनका उपयोग रखने के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। डीएनए प्रोफाइल केवल विदेशी प्रयोजनों या सरकारी संगठनों या एजेंसियों के साथ ही इस अधिनियम में किए गए उद्देश्यों के लिए साझा किए जाएंगे। प्रावधानों के उल्लंघनकर्ता कारावास की सजा के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि तीन साल तक बढ़ा सकते हैं और जुर्माना भी बढ़ा सकता है जो कि 2 लाख तक हो सकता है।

विधेयक से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

- विधि आयोग द्वारा इस विधेयक को लाने की कवायद तब शुरू हुई, जब उसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा पिछले साल सितंबर में 'सिविल और आपराधिक कार्यवाही में डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विनियमन विधेयक, 2016' का प्रारूप प्राप्त हुआ।
- इस विधेयक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर डीएनए डेटा बैंकों के निर्माण की बात की गई है, जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल को संग्रहीत करने के लिये जिम्मेदार होंगे।
- विधेयक में एक वैधानिक 'डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड की स्थापना' की भी बात की गई है।

बड़े निवेश की जरूरत क्यों ?

- दरअसल, इस विधेयक के कानून बनते ही डीएनए नमूने लेने, फिर परीक्षण करने और फिर डेटा संधारण के लिये देश भर में प्रयोगशालाएँ बनानी होंगी। प्रयोगशालाओं से तैयार डेटा आंकड़ों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने के लिये डीएनए डाटा-बैंक बनाने होंगे।
- जीनोम-कुण्डली बांचने के लिये ऐसे सुपर कंप्यूटरों की जरूरत होगी, जो आज के सबसे तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर से भी हजार गुना अधिक गति से चल सकें। इस ढाँचागत व्यवस्था पर नियंत्रण के लिये विधेयक के मसौदे में डीएनए प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।

क्या होगा प्रभाव ?

- केंद्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की कुण्डली तैयार करने की दृष्टि से 'मानव डीएनए संरचना विधेयक-2015' लाने की कवायद में लगी है। कालांतर में यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो देश के हर एक नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा।
- बस एक क्लिक पर मनुष्य की आंतरिक जैविक जानकारियाँ पर्दे पर होंगी। लिहाजा इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में आम नागरिक के मूल अधिकारों में दर्ज गोपनीयता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।
- हालाँकि इसे अस्तित्व में लाने के प्रमुख कारण अपराध पर नियंत्रण और बीमारी का उचित इलाज बताया जा रहा है।

चुनौतियाँ क्या हैं ?

- सवा अरब की आबादी और भिन्न-भिन्न नस्ल व जाति वाले देश में कोई निर्विवाद व आशंकाओं से परे डाटाबेस तैयार हो जाए, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक हम न तो विवादों से परे मतदाता पहचान पत्र बना पाए और न ही नागरिक को विशिष्ट पहचान देने का दावा करने वाला आधार कार्ड? लिहाजा देश के सभी लोगों की जीन कुण्डली बना लेना भी एक दुष्कर कार्य लगता है।

संभावित प्रश्न

प्र.: डीएनए विधेयक आनुवंशिक प्रोफाइलिंग गतिविधियों को सुगम बनाने का प्रयास करता है। इस कथन के संदर्भ में विधेयक के लागू होने के बादके प्रभावों तथा चुनौतियों को दर्शाऐं। (200 शब्द)

Q.: DNA Bill attempts to facilitate genetic profiling activities. In the context of this statement, reflect the effects and challenges of the bill after its implementation. (200 words)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World